

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/4

रीवा, दिनांक 18/2/25

### अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत कला संकाय अन्तर्गत दर्शनशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

### दर्शनशास्त्र अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1. प्रो. श्रीकांत मिश्र  
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग,  
अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

28(2) दो

1. डॉ. निवेदिता टेंभरे  
विभागाध्यक्ष, शास. टा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

28(2) तीन

2. रिक्त
1. रिक्त

28(2) चार

1. रिक्त
2. रिक्त

28(2) पाँच

- 1.
- 2.

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत प्रो. श्रीकांत मिश्र को दर्शनशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, कला संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)